

आभियंता प्रमुख का कार्यालय,  
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सकारण आदेश

पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, महनार के अधीन केवला घाट में श्रीरामपुर सोता पर पुल (पैकेज संख्या-BR-36R-250) का निर्माण कार्य संवेदक विश्वनाथ राय, (निबंधन सं0-2150818) सहदुल्लापुर, चकफरीद, पो0-मथुरापुर, थाना-विदुपुर, वैशाली को आवंटित था, जिसका एकरारनामा सं0-04/PMGSY/2019-20 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 20.11.2019 एवं कार्य पूर्णता की तिथि 19.11.2020 है।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, महनार के पत्रांक-556 दिनांक-12.04.2022, पत्रांक-660 दिनांक-30.04.2022 एवं पत्रांक-731 दिनांक-23.05.2022 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा बार-बार निदेशित करने के फलस्वरूप भी संवेदक द्वारा निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं की गयी। पुनः कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, महनार द्वारा अपने अंतिम रूप से स्मारित करते हुए अपने पत्रांक-887 दिनांक-29.06.2022 द्वारा चेतावनी दी गयी कि अगर आपके द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया तो आपके एकरारनामा को PMGSY के SBD के General Condition of Contract के सुसंगत कंडिका 52.2(a)(e), (h) (j) एवं 53 के आलोक में विखंडित कर आपके निबंधन को कालीकृत करने की कार्रवाई की जाएगी, फिर भी संवेदक द्वारा उक्त पुल निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं की गयी। फलस्वरूप कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, महनार ने अपने कार्यालय आदेश ज्ञापांक-933 दिनांक-07.07.2022 द्वारा एकरारनामा के कंडिका 52.2(a)(e), (h) (j) एवं 53 के तहत विषयगत कार्य के एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया।

उपरोक्त के आलोक में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अपने पत्रांक-1488 दिनांक-08.08.2022 द्वारा उक्त संवेदक के निबंधन सं0-2150818 को कालीसूची में डालने की अनुशंसा की गयी। इसके पश्चात् विभागीय पत्रांक-1101 दिनांक-18.08.2022 द्वारा संवेदक श्री विश्वनाथ राय, निबंधन सं0-2150818 से 15 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु संबंधित संवेदक द्वारा अभी तक अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि इस संबंध में संवेदक को आगे कुछ नहीं कहना है।

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त विभागीय अधिसूचना सं0-8123 दिनांक-21.12.2007 द्वारा अधिसूचित बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के कंडिका 11(क)(VI) तथा पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का का0अ0सं0-154 दिनांक-18.06.2015 की कंडिका 8(I)(b) में निहित प्रावधानों के आलोक में संवेदक विश्वनाथ राय, (निबंधन सं0-2150818) सहदुल्लापुर, चकफरीद, पो0-मथुरापुर, थाना-विदुपुर, वैशाली को अगले 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(अशोक कुमार मिश्रा)

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-मु0अ0-4(मु0)कालीसूची-10-16/2022 445 /पटना, दिनांक:-19/01/23

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/उर्जा विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-मु0अ0-4(मु0) कालीसूची-10-16/2022 445 /पटना, दिनांक:- 19/01/23

प्रतिलिपि:-सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक:-मु0अ0-4(मु0) कालीसूची-10-16/2022 445 /पटना, दिनांक:- 19/01/23

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक:-मु0अ0-4(मु0) कालीसूची-10-16/2022 445 /पटना, दिनांक:- 19/01/23

प्रतिलिपि:- संवेदक विश्वनाथ राय, (निबंधन सं0-2150818) सहदुल्लापुर, चकफरीद, पो0-मथुरापुर, थाना-विदुपुर, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।